न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा जिला बारां (राज.)

क्रमांक : 91/25 दिनांक 25.9.25

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी श्री भंवरलाल, मदनमोहन पुत्र/पुत्री/पत्नि रामगोपाल ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम मूण्डल्या, कड़ावद पटवार मण्डल मूण्डल्या तहसील छबड़ा जिला बारां की चालू जमाबंदी सम्वत 2076-79 के खाता संख्या क्रमशः 71, 72, 145 में खातेदार/~~गैरखातेदार~~ के पिता का नाम/~~जाति~~ गोपाल अंकित है जो सम्मानजनक नही है। जिसे सम्मानजनक रूप से रामगोपाल अंकित किया जावे। प्रार्थी के आवेदन पत्र की जांच पटवारी मूण्डल्या से करवाने पर पटवारी ने गोपाल के बजाय रामगोपाल करना उचित बताया। तहसीलदार छबड़ा ने भी उक्त खाते में गोपाल के बजाय रामगोपाल करना उचित बताया।

अतः पटवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम 369 राजस्थान भूराजस्व (भू अभिलेख) नियम 1957 के अन्तर्गत ग्राम मूण्डल्या, कड़ावद के खाता संख्या क्रमशः 71, 72, 145 में खातेदार/~~गैरखातेदार~~ के पिता का नाम/~~जाति~~ गोपाल के स्थान पर सम्मानजनक रूप से रामगोपाल दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार छबड़ा तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करें।

उपखण्ड अधिकारी
(Land Record Officer)
छबड़ा जिला बारां
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)